मै0 कृष्णा ईट उद्योग, (पूर्वनाम मै0 गॉधी ईट उद्योग), ग्राम कांडली, तहसील इगलास, जनपद अलीगढ के विरूद्ध श्री मुनीशंकर शर्मा द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–360/2022 के अनुकम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2022 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–360/2022 मुनीशंकर शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2022 के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 08.07.2022 को किया गया। ईट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री शिवसिंह, मुनीम उपस्थित थें। आख्या निम्नवत है:–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठा मै0 गॉधी ईट उद्योग के नाम से वर्ष 1991–92 से श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री हरिमोहन द्वारा संचालित किया गया था।
2. सन्दर्भित ईट भट्ठे द्वारा सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु प्रथम बार तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा में दिनांक 04.02.1999 में आवेदन किया गया था। आवेदन किये जाने के उपरान्त ईट भट्ठे को क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा द्वारा प्रथम बार दिनांक 30.06.1999 तक सशर्त सहमति जल वायु निर्गत किया गया था।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठा का संचालन राज्य बोर्ड से नियमानुसार सहमति जल व वायु प्राप्त करते हुए लगातार वर्ष 2007 तक किया गया एवं वर्ष 2007 में क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ द्वारा उक्त भट्ठे को दिनांक 30.06.2007 तक सशर्त सहमति जल/वायु निर्गत किया गया है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईट भट्ठा को सहमति जल/वायु वांछित प्रपत्रों एवं सहमति जल/वायु शुल्क के साथ आवेदन करने हेतु दिनांक 28.06.2011, 26.07.2013, 21.02.2014 के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया गया था
5. कार्यालय अभिलेखानुसार मै0 गॉधी ईट उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त न किये जाने एवं बिना संचालन की स्थिति में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक:एच63514 दिनांक 16.07.2021 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
6. वर्तमान में उक्त ईट भट्ठा मै0 कृष्णा ईट उद्योग, ग्राम कांडली के नाम से संचालित किया जा रहा है, जिसके प्रोपराइटर श्री प्रेमशंकर उपाध्याय है।
7. निरीक्षण के समय उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व से स्थापित एवं संचालित ईट भट्ठे को किराये पर वर्ष 2020–21 में लेकर मै0 कृष्णा ईट उद्योग के नाम से इसी सत्र से संचालित किया गया है, किन्तु इस सम्बन्ध में मै0 कृष्णा ईट उद्योग की फर्म के नाम से किरायेनामा, जिला पंचायत रसीद, खनन विभाग, जी0एस0टी0 पंजीकरण, रायल्टी आदि के साक्ष्य/प्रपत्र उपलब्ध नहीं है।
8. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया। ईट भट्ठे के संचालन से उत्सर्जित फ्लू गैसों के निस्तारण हेतु लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित पायी गयी। फ्लूगैसों के अनुश्रवण हेतु सीढी, प्लेटफार्म बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पाया गया।
9. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा के ट्रंच में पक्की ईटें भरी होने के कारण ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर का सत्यापन कार्य नहीं किया जा सका।

10. कार्यालय अभिलेखानुसार मै0 कृष्णा ईट उद्योग द्वारा बिना सहमति जल/वायु प्राप्त किये ईट भट्ठे का संचालन/कच्चे ईट से पक्के ईट का उत्पादन कार्य/फुकाई किया गया है। उक्त ईट भटठा जिग–जैग/हाइड्रा पद्धति पर स्थापित नहीं है।

11. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा द्वारा कच्चे ईट की पथाई हेतु खोदी गयी मिट्टी की रायल्टी जमा किये जाने का कोई प्रमाण/रसीद प्राप्त नहीं करायी गयी।

12. शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत में उल्लेख किया गया है कि ईट पथाई हेतु ग्राम सतलौनी खुर्द के तालाब के आसपास मिट्टी का अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। निरीक्षण के समय तालाब के आसपास मिट्टी की खुदाई का कार्य होता हुआ नहीं पाया गया, परन्तु तालाब के पास पूर्व से खुदाई की गयी मिट्टी एकत्रित पायी गयी, किन्तु ईट पथाई सम्बन्धी कोई कार्य होता हुआ नहीं पाया गया।

12. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख में मै0 गॉधी ईट उद्योग, ग्राम कांडली, इगलास, जनपद अलीगढ़ खसरा संख्या–490 में स्थापित है। वर्तमान में मै0 कृष्णा ईट उद्योग, ग्राम कांडली, इगलास, जनपद अलीगढ़ के प्रोपराईटर श्री प्रेम शंकर उपाध्याय पुत्र श्री नेकराम, निवासी ग्राम श्योरा, इगलास, जनपद अलीगढ़ द्वारा भट्ठा का किरायानाम प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मै0 कृष्णा ईट उद्योग, खसरा संख्या–460, ग्राम कांडली, तहसील इगलास, जनपद अलीगढ़ में स्थापित व संचालित दर्शाया गया है। उक्त प्रपत्र से स्पष्ट होता है कि मै0 कृष्णा ईट भट्ठा राज्य बोर्ड से बिना स्थापनार्थ सहमति व संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये ईट भट्ठे की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है।

13. निरीक्षण के समय सन्दर्भित ईट भटठा की चिमनी से पश्चिम दिशा में लगभग 550 मीटर की दूरी पर ग्राम सतलौनी खुर्द, उत्तर दिशा में लगभग 170 मीटर की दूरी पर प्रकाश पब्लिक स्कूल स्थापित व संचालित है। इसी दिशा में लगभग 610 मीटर की दूरी पर एक अन्य ईट भट्ठा स्थापित है। दक्षिण दिशा में लगभग 320 मीटर की दूरी पर ए0बी0ए0 इण्टरनेशनल स्कूल स्थापित व संचालित है एवं उसी दिशा में लगभग 1.30 किमी0 की दूरी पर ग्राम मोहकमपुर स्थित है। पूरब–उत्तर दिशा में लगभग 770 मीटर की दूरी पर ग्राम कांडली स्थित है। सन्दर्भित ईट भट्ठा वर्तमान में जिला पंचायत एवं ईट भट्ठा स्थापना हेतु जारी गाईडलाइन, 2012 के अनुरूप स्थापित नहीं है।

उक्त ईट भट्ठा को मै0 गॉधी ईट उद्योग के नाम से जारी बन्दी आदेश दिनांक 16.07.2021 को संचालित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री जगवीर सिंह, मुनीम को दिनांक 21.02.2022 को प्राप्त करा दिया गया है। अग्रेतर सूचित करना है कि वर्तमान फर्म मै0 कृष्णा ईट उद्योग के नाम से स्थापित/संचालित ईट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांकः1160/ओ.ए. नं0–360/2022 दिनांक 02.08.2022 के माध्यम से संस्तुति आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसके क्रम में बोर्ड द्वारा उक्त ईट भट्ठे के विरुद्ध बन्दी आदेश दिनांक 11/08/22 जारी किया गया है।

उपरोक्त समिति की आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

04.08.2022

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
अलीगढ़।

(सतीश कुमार)
खान अधिकारी
जनपद अलीगढ

(अनिल कुमार कटियार)
उप जिलाधिकारी, इगलास
जनपद अलीगढ़।

अपर जिलाधिकारी (नगर), अलीगढ़।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
अलीगढ़

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत
दिनांक 11.8-22

संदर्भ संख्या : H79760 / सी–4 / ईट–1036 / बन्दी / 2022

मै0 कृष्णा ईंट उद्योग,
ग्राम– कांडली, तह0–इगलास,
जनपद–अलीगढ़।

मै0 कृष्णा ईंट उद्योग, ग्राम–कांडली, तह0–इगलास, जनपद–अलीगढ़ द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, बालू एवं पानी का प्रयोग कर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईंट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 05.07.2022 एवं 08.07.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार निरीक्षण के दौरान ईंट भट्ठा बन्द पाया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहोल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पाया गया। ईंट भट्ठे की स्थापना / संचालन राज्य बोर्ड से बिना पूर्व सहमति स्थापनार्थ / सहमति (जल / वायु) प्राप्त किये बिना की गई है।

निरीक्षण आख्यानुसार ईंट भट्ठा स्थल से पश्चिम दिशा में लगभग 550 मी0 की दूरी पर ग्राम–सतलौनी खुर्द, उत्तर दिशा में लगभग 170 मी0 की दूरी पर प्रकाश पब्लिक स्कूल, लगभग 610 मी0 की दूरी पर एक अन्य ईंट भट्ठा, दक्षिण दिशा में लगभग 320 मी0 की दूरी पर ए0बी0ए0 इण्टरनेशनल स्कूल एवं पूरब–उत्तर दिशा में लगभग 770 मी0 की दूरी पर ग्राम–कांडली स्थित है, जो जिला पंचायत एवं ईंट भट्ठा की स्थापना हेतु जारी गाइडलाइन 2012 के विरूद्ध है।

क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ के पत्र सं0–1160 / औ0प्र0–380 / 2022 दिनांक 02.08.2022 द्वारा प्रेषित आख्या में प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत विधिक / बन्दी कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ईंट भट्ठा मै0 कृष्णा ईंट उद्योग, ग्राम–कांडली, तह0–इगलास, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत निम्नलिखित बन्दी आदेश जारी किया जाता है :–

1. यह कि मै0 कृष्णा ईंट उद्योग, ग्राम–कांडली, तह0–इगलास, जनपद–अलीगढ़ का भविष्य में उक्त स्थल पर बिना राज्य बोर्ड की पूर्व अनुमति के संचालन न किया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मै0 कृष्णा ईंट उद्योग, ग्राम–कांडली, तह0–इगलास, जनपद–अलीगढ़ को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेंन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरूद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

2– प्रभारी अधिकारी खनन जनपद अलीगढ़ को इस आशय के साथ कि उक्त भट्ठे का खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का कष्ट करें।

3– अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत जनपद ~~मथुरा~~ को इस निर्देश के साथ कि भट्ठे का लाइसेंन्स निरस्त करते हुए भट्ठे को अपने स्तर से बंद कराने का कष्ट करें।

4– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि उक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 07 दिन के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी. 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–360/2022 मुनीशंकर शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–360/2022 मुनीशंकर शर्मा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 23.05.2022 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैः–

"In view of the grievance made in the letter petition, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken in case of violation of environmental norms on the 2 basis thereof. We accordingly constitute Joint Committee of State PCB and District Magistrate, Aligarh and direct the same to verify the factual position, look into the grievances of the applicant and take remedial action in accordance with law by following due process within one month from the date of receipt of a copy of this order. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List the matter for further consideration on 22.08.2022".

उक्त जारी आदेश के अनुपालन में मै0 कृष्णा ईट उद्योग (पूर्वनाम–मै0 गांधी ईट उद्योग) ग्राम–कांडली, थाना व तहसील–इगलास, जनपद–अलीगढ़ की जांच किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की जाती हैः–

1. उपजिलाधिकारी, इगलास, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अलीगढ़।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अलीगढ़।
5. खान अधिकारी, अलीगढ़।

उक्त समिति के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2022 एवं पारित आदेश दिनांक 23.05.2022 के साथ संलग्न शिकायती पत्र में दिये गये तथ्यों के सम्बन्ध में जांच की जाये। जांचोंपरान्त पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाये। उक्त कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर पूर्ण कर जांच आख्या एवं कृत कार्यवाही की आख्या मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल आईडी–ngt@gov.in पर प्रेषित की जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी
अलीगढ़।

पत्रांकः– 872/OA-360/2022 दिनांकः– 25.06.22

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित अधिकारियों का अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

1. उपजिलाधिकारी, इगलास, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, अलीगढ़।
4. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अलीगढ़।
5. खान अधिकारी, अलीगढ़।

जिलाधिकारी
अलीगढ़।